रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 2] नई दिल्ली, जनवरी 6—जनवरी 12, 2019, शनिवार/ पौष 16—पौष 22, 1940
No. 2] NEW DELHI, JANUARY 6—JANUARY 12, 2019, SATURDAY/PAUSA 16— PAUSHA 22 , 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2019

सा.का.नि.10.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय (स्टाफ कार चालक श्रेणी I, श्रेणी II और सामान्य श्रेणी) भर्ती नियम, 2007 को, जहां तक उनका संबंध स्टाफ कार चालक विशेष श्रेणी से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, गृह मंत्रालय में स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.—(1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(9)	(10)	(11)
Two years	By Direct Recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under the circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government:- (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). (The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.)	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (1) Director, Central Research Institute, Kasauli - Chairman (2) Deputy Director, Central Research Institute, Kasauli –Member (3) Administrative Officer, Central Research Institute, Kasauli –Member (4) Account Officer, Central Research Institute, Kasauli –Member (5) Group A officer of the Local Military Hospital –Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F.No. A.12018/07/2015-EPI]

VANDANA CHAUDHARY, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 15.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान कसौली, (हिन्दी अधिकारी) भर्ती नियम, 1984 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, सहायक निदेशक (राजभाषा) समूह 'क' भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण
(1)	(2)	(3)
सहायक निदेशक (राजभाषा)	01* (2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय

वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अहर्ताएं
(4)	(5)	(6)	(7)
वेतन मैट्रिक्स (56100-177500 रु.) में स्तर-10	चयन	लागू नही होता	लागू नही होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्त द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रोन्नति : ऐसे कनिष्ठ अनुवादक जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (35400- 112400 रु.) मे स्तर -6 मे उस श्रेणी मे आठ वर्ष नियमित सेवा की हो और विभाग द्वारा विहित 2 से 4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा

रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

वांछनीय :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासनो के ऐसे अधिकारी:

(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग मे नियमित आधार पर सदर्श पद धारण किए हो ।

(ii) वेतन मैट्रिक्स (44900-142400 रू) मे स्तर-7 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी मे तीन वर्ष की सेवा की हो ।

(iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक (35400-112400 रू) में स्तर-6 मे नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी मे आठ वर्ष की सेवा की हो ।

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :

आवश्यक :

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिर्वाय या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के साथ अंग्रेजी मे मास्टर डिग्री

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अग्रेजी के अलावा किसी विषय में हिंदी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी एक विषय के रूप मे रही हो ।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और डिग्री स्तर पर अनिर्वाय या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी एक विषय के रूप में रही हो ।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी और अंग्रेजी या इनमें से कोई परीक्षा के माध्यम के रूप में तथा दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री ।

(ii) हिंदी में शब्दावली (शब्दावली कार्य) प्रयुक्त करने या अनुप्रयोग करने का और अंग्रेजी से हिंदी में या हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का 3 वर्ष का अनुभव जिसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्रात शोध या शैक्षिक संस्थानों में तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबधी कार्य को अधिमान्यता दी जायेगी ।

या

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त या सांविधिक सगंठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त शोध संस्थानों मे हिंदी और अंग्रेजी शिक्षण का या हिंदी या अंग्रेजी में शोध कार्य का तीन वर्ष का अनुभव ।

वांछनीय :

मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं के स्तर पर संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हिंदी के अतिरिक्त किसी एक भाषा का अध्ययन किया हो ।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतगर्त केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. अध्यक्ष या सदस्य संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सहायक महानिदेशक / उपमहानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 3. निदेशक (प्रशासन और सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य **समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे:-** 1. सयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - अध्यक्ष 2. सहायक महानिदेशक/उप महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 3. निदेशक,(प्रशासन और सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[सं. ए-12018/01/2015 ई.पी.आई.]

वंदना चौधरी, अवर सचिव

New Delhi, the 7th January, 2019

G.S.R. 15.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Research Institute, Kasauli, (Hindi Officer) Recruitment Rules,1984, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Rajbhasha), in the Ministry of Health and Family Welfare, the Central Research Institute, Kasauli, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Research Institute, Kasauli, Assistant Director(Rajbhasha) Group 'A' Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix or pay scale.—The number of said post, its classification level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. —No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Rajbhasha)	1 * (2019) * (Subject to variation dependent upon workload).	General Central Civil Services (Group 'A'), Gazetted, Non Ministerial.	Level 10 in the pay matrix (Rs. 56100 to 177500)	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	No	Two years	By Promotion, failing which by deputation

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.

(11)

Promotion :

Junior Translators in Level 6 (Rs. 35400 to 112400) in the pay matrix with eight years regular service in the grade and who have successfully completed the training of 2 to 4 weeks as prescribed by the Department.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Deputation:

Officers from the Central Government or State Governments or Union territory Administrations:

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 7 in the pay matrix (Rs. 44900 to 142400); or

(iii) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level 6 in the pay matrix (Rs. 35400 to 112400); and

(b) possessing the following educational qualifications and experience:

Essential :

Masters degree of a recognised University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

OR

Masters degree of a recognised University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

OR

Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;

OR

Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as a medium of a examination at the degree level;

OR

Masters degree of a recognised University in any subject other than Hindi or English, with Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium of examination and the other as a compulsory or elective subject at the degree level;

(ii) three years experience of using or applying terminology (terminological work) in Hindi and translation work from English to Hindi or vice versa, preferably of technical or scientific literature under Central Government or State

Government or autonomous body or statutory organisations or public sector undertakings or Universities or recognised research or educational institutions;

OR

three years experience of teaching in Hindi or English or research in Hindi or English under Central Government or State Government or autonomous body or statutory organisations or public sector undertakings or Universities or recognised research or educational institutions.

Desirable:

Studied one of the languages other than Hindi included in the Eighth Schedule of the Constitution in 10^{th} standard from a recognised Board.

Note 1:

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2:

Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 3:

The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted making recruitment.
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Assistant Director General/ Deputy Director General Directorate General of Health Services - Member; 3. Director (Administration and Vigilance) Directorate General of Health Services - Member **Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1. Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare - Chairman 2. Assistant Director General/ Deputy Director General Directorate General of Health Services - Member 3. Director (Administration and Vigilance) Directorate General of Health Services - Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary for appointment on each occasion.

[No .A-12018/01/2015-EPI]

VANDANA CHAUDHARY, Under Secy.